

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
-:कार्यालय आदेश:-

शुद्धि-पत्र

का०आ०सं०-01/स्था०राज०-336/2025-

पटना, दिनांक फरवरी, 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-3 (3) (ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-27.01.2026 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-274 दिनांक-06.02.2026 के द्वारा अनुशंसा प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को नियोजन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-274 दिनांक-06.02.2026 के द्वारा निर्गत आदेश के द्वारा कुछ संविदा नियोजित कर्मियों का नियोजन जिस कार्यालय में पद स्वीकृत नहीं है उस कार्यालय में भी नियोजन हो गया।

अतः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-274 दिनांक-06.02.2026 के द्वारा निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	संशोधित कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्त कार्यालय का नाम
3	श्री जवाहर लाल प्रसाद	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई।
5	श्री अर्जुन राम	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया।	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा।
6	श्री सुरेश प्रसाद सिंह	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)।
8	श्री बैद्यनाथ प्रसाद यादव	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया।	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर।

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्था०राज०-336/2025 375. /पटना, दिनांक-17 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटकक/सभी संबंधित पदाधिकारी/बजट शाखा/सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना/पूर्णिया/जमुई/सहरसा/भोजपुर (आरा)/भागलपुर/सभी संबंधित कर्मी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Roye 16/02/26
अवर सचिव।
De